न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 131/2018/(2018/00131) जिला–नागौर

रामचन्द्र पुत्र स्व0 गीधााराम जाति यादव निवासी मुण्डधसोई तहसील नांवा जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व0 गीधाराम
2. दूलाराम पुत्र स्व0 गीधाराम
3. बोदूराम पुत्र स्व0 गीधाराम
   समस्त जाति यादव निवासी मुण्डघसोई तहसील नांवा जिला नागौर।
4. पांची देवी पुत्री स्व0 गीधाराम पत्नी श्रीराम जाति यादव निवासी देवा का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।
5. धापू देवी पुत्री स्व0 गीधाराम पत्नी मदनलाल जाति यादव निवासी भगवानपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।
6. सोहनी देवी पुत्री गीधाराम पत्नी भागीरथमल जाति यादव निवासी भगवानपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।
7. बालूराम पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
8. मूलाराम पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
9. श्रवण पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
   समस्त जाति यादव निवासी मुण्डधसोई तहसील नांवा जिला नागौर।
10. कमला देवी पुत्री पोखर तथाकथित पुत्री स्व0 गीधाराम पत्नी रामनाथ यादव जाति यादव हाल निवासी देवा का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
11. तहसीलदार नांवा जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), नांवा जिला नागौर
दिनांक 16–05–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2017

————

उपस्थित– 1. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी एवं रामचंद्र यादव
2. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 8 व 10

निर्णय

दिनांकः— 12.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम नोलासिया की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 54, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 105 कुल किता 10 रकबा 31.53 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा जो कि स्व0 गीधाराम के नाम दर्ज था एवं ग्राम मुण्डघसोई के खसरा नम्बर 86, 87, 116, 117, 84, 122, 140, 143, 144, 146, 303, 308 में स्व0 गीधाराम का हिस्सा रहा है। गीधाराम ने अपने 1/4 हिस्से की आराजियात की वसीयत उसके पुत्र एवं पुत्रियां क्रमशः हनुमान, दूलाराम, बोदूराम, रामचन्द्र पांची, घापू, सोहनी के नाम दिनांक 30—11—2012 को निष्पादित की। श्री गीधाराम की मृत्यु 4—7—2014 को होने पर तहसीलदार नांवा के समक्ष दिनांक 17—1—2017 को प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत दिनांक 30—11—2012 जो कि नोटेरी से दिनांक 4—12—2012 को अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम खातेदार गीधाराम द्वारा निष्पादित किया गया था। गीधाराम के हिस्से की आराजी का वसीयतनामें के आधार पर अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार, नांवा द्वारा वसीयत का प्रमाणीकरण किये जाने के उपरांत भी अपने निर्णय में उक्त आराजियात को स्वअर्जित आराजियात का वसीयत में अंकन नहीं होना तथा उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 16—5—2017 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत आक्षेप को शामिल कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 16—5—2017 पारित कर दिया। उक्त आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नहीं हो पायी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 लगायत 11 द्वारा गांव में शोहरात फैलायी जाने पर कि गीधाराम का विरासतन नामान्तरकरण स्वयं के नाम करा लिया है, तब अपीलांट को कानूनगों नांवा से मिलने पर इसकी जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत दिनांक 4—12—2012 के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है एवं सरपंच द्वारा फर्जी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 13—1—2015 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 395 दिनांक 14—7—2017 व नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 18—7—2017 को स्वीकृत किया गया है जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 13—6—2018 के प्श्चात विधिक जानकारी से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्व में

अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष अपील विचाराधीन रहने से प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि पारिवारिक सजरे अनुसार लादू के वारिसान ने उसके 04 पुत्र (1) काना, (2). पोखर, (3) गीधा, (4) भूरा रहे हैं । पोखर पुत्र लादू सन् 1962 में फौत होने के उपरान्त उसकी पत्नी मोहरी जो कि भूरा के नाते आयी है एवं भूरा के साथ ही रही है जिससे बालू–प्रत्यर्थी संख्या 1, मूला–प्रत्यर्थी संख्या 2 और श्रवण–प्रत्यर्थी संख्या 3, पुत्र हुये है। अवैधानिक रूप से गीधा के वारिस के रूप में बनकर इनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र –135(2) बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें विवादित आराजियात को पैतृक होने का उल्लेख करतेहुए खातेदार लादूराम द्वारा पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 24–7–65 को निष्पादित किया गया एवं उक्त आधार पर सम्पत्ति गीधाराम की स्वअर्जित आराजियात रही है, को पैतृक होना वर्णित करते हुए जहां वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है ना ही राजस्थान राज्य में प्रोबेट लेना आवश्यक नहीं है। वसीयतनामें को अपंजीकृत होना वर्णित करते हुए प्रस्तुत साक्ष्यों के विपरीत प्रोबेट कराये जाने बाबत आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय, तहसीदार (भू.अ.) नावां द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर कानूनी भूल की गयी है जो निरस्त योग्य है।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार गीधाराम पुत्र लादू को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 (बालूराम, मूलाराम, श्रवण पुत्रगण पोखर) पर यह अंदेशा हो गया कि उनके द्वारा गलत रूप से वलदीयत का अंकन कराया गया है उसका नाजायज फायदा उठाकर विधिक वारिसानों को उनके हक अधिकारों से वंचित कर सकते है। उक्त बाबत गीधाराम द्वारा स्वयं के जीवनकाल में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जिसकी जानकारी भी पूर्व सरपंच को रही है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में स्वीकृत वसीयत सरपंच को देने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से वारिस प्रमाण पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के पक्ष में जारी किया गया है एवं उक्त आधार पर पटवारी हलका को पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी गलत रूप से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के नाम वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। गीधाराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 30–11–2012 को वसीयतनामा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 1 लगायत 6 विधिक वारिसानों के नाम स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार (भू.अ.) नावां द्वारा पारित किया जाना न्यायोचित था जबकि उक्त आराजियात लादू खातेदार के द्वारा काना, पोखर, गीघा भूरा के पक्ष में पंजीकृत बख्शीखनामा दिनांक 24–3–65 को निष्पादित कर दी गई जिसके आधार पर चारों ही व्यक्तियों के नाम पृथक–पृथक स्वअर्जित आराजियात के रूप में चली आ ही है। खातेदार गीधाराम द्वारा स्वयं की स्वअर्जित आराजियात बाबत वसीयतनामा अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वारिस होने से उक्त वसीयतनामे के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। उक्त वसीयतनामें के गवाह के बयान कराये गये है जिससे वसीयतनामा स्वतः ही प्रमाणित दस्तावेज रहा है एवं उक्त आधार पर विधिक वारिसान अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित था जो अधिनस्थ न्यायालय (भू.अ.) नावां द्वारा नहीं किया गया ।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजियात के खातेदार गीधाराम के पिता लादू के पिता की मृत्यु 1968 को हुई थी एवं लादूराम के पारिवारिक सजरे अनुसार चार लड़के क्रमशः (1) कान्हा, (2) पोखर (3) गीधा (4) भूरा है। लादूराम की पत्नी बरजी देवी जिनकी मृत्यु 1985 में हुई थी। लादूराम द्वारा दिनांक 24–3–1965 को पंजीकृत बख्शीशनामा अपने चारो पुत्रों के नाम पंजीकृत कराया गया है जिसके आधार पर पृथक–पृथक चारों पुत्र उक्त आराजियात पर काबिज है । इससे यह स्पष्ट रहा है कि उक्त आराजियात स्वअर्जित आराजियात रही है एवं उक्त आराजियात के बाबत विधिवत रूप से गीधाराम द्वारा वसीयतनामा दिनांक 30–11–2012 को निष्पादित कर दिनांक 4–12–2012 को नोटेरी से तस्दीक कराया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 9 द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये आक्षेप के आधार पर उक्त आराजियात को पैतृक होना वर्णित करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार (भू.अ.) नावां ने कानूनी त्रुटि की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 लगायत 11 जिनके द्वारा वसीयतनामें को शून्य घोषित किये जाने व घोषणा हेतु राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष्ज्ञ प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 लगायत 11 के हक एवं अधिकारों का निस्तारण किया जाना था किन्तु खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारिसान अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं कर तहसीलदार, नांवा द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत आक्षेप को शामिल कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2017 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नहीं हो सकी। सरपंच द्वारा फर्जी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 13–1–2015 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14–7–2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 468 दिनांक 18–7–2017 तहसीलदार, नांवा द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी

अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें पारित निर्णय दिनांक 13–6–2018 के विरूद्ध अपने अधिकारेां को सुरक्षित रखते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–5–2017 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2017 निरस्त किये जाने एवं वसीयतनामा दिनांक 30–11–2012 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गयी । कुछ न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये यथा :–

(1) शेरजंग बनाम आशा देवी 2002 आर.आर.डी. पेज 328 – जहां नामांतरकरण हेतु विवाद मृतक के विधिक वारिसानों (L.R.) व वसीयत के हिताधिकारी के मध्य हो, तो तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण विधिक वारिसानों के हक में कर देना शक्तियों का दुरूपयोग करना है ।

(2) लाडा बनाम बीरबल व अन्य 2002 आर.आर.डी. पेज 338 – राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(21) राज–4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के अनुसार अविवादित नामांतरकरण को तस्दीक करने की शक्तियॉ संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रदान की गयी है एवं यदि 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ये शक्तियॉ संबंधित तहसीलदार को प्राप्त हो जाती हैं ।

(3) खेता बनाम रघुनाथराम 2002 आर.आर.डी. पेज 280 – नामांतरकरण की कार्यवाही सरसरी होती है जिसमें किसी के स्वत्व निर्णित नहीं होते हैं । राजस्थान में वसीयतनामें की रजिस्ट्री व प्रोबेट आवश्यक नहीं हैं ।

(4) ग्यारसीराम व अन्य बनाम श्रीलाल व अन्य 2005 आर.आर.डी. पेज 160 – पूर्व पति से उत्पंन संताने पूर्व विवाह के पति की संपत्ति के वारिस नहीं हो सकते ।

(5) बंशी बनाम नारायण व अन्य 2004 आर.आर.डी. पेज 115 – कोई व्यक्ति किसी की वैध संतान है या नहीं, को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों के बजाय सिविल न्यायालयों को कई अधिक है ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 10 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात गीधाराम के नाम खातेदारी हक से दर्ज रही है। स्व0 गीधाराम की मृत्यु 4–7–2014 को हुई है। स्व0 गीधाराम के जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 है। यह गलत है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 10 के पिता पोखर पुत्र लादूराम हुए है। पोखर दत्तक पुत्र ईश्वर के संबंध में तथ्य गलत है। ईश्वर के गोद संबंधी कोई विधिक दस्तावेजात नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय से इस बाबत कोई घोषणा ही हुई है। पारिवारिक समझौते के अनुसार यदि कोई जमीन प्राप्त हुई है और हमारे द्वारा क्रय की गई है जो हमारे द्वारा क्रय शुदा भूमि है जबकि विवादग्रस्त आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रत्येक

आसामी का प्रत्येक खाते पर हिस्सा माना गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 10 गीधाराम के जायन्दा पुत्र है जिसके प्रमाण स्वरूप मतदाता सूची, राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल के समस्त दस्तावेजात पर स्व0 गीधराम का नाम दर्ज है। विवादित आराजियात पैतृक है। जिसमें विधिक वारिसों को वसीयत 4–12–2012 अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर जायज अधिकारों से वंचित रखने मात्र बाबत एक झूठी कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गयी । कुछ न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये यथा :–

1. RRT 2003 (1) पेज 650 से 653 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1336/2001 निर्णय दिनांक 21–1–2003 जेठू सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य
2. RBJ (11) 2004 पेज 610 से 614 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/एलआर/25/2003/अजमेर निर्णय दिनांक 6–9–2004 श्रीमति रक्षा देवी बनाम पशुपति नाथ
3. RLW 2009 (1) RJ पेज 133 से 136 बृजसुन्दर व अन्य बनाम कमलेश कुमार व अन्य

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाके ग्राम नोलासिया की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 54, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 105 कुल किता 10 रकबा 31.53 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा जो कि स्व0 गीधाराम के नाम दर्ज था एवं ग्राम मुण्डघसोई के खसरा नम्बर 86, 87, 116, 117, 84, 122, 140, 143, 144, 146, 303, 308 में स्व0 गीधाराम का हिस्सा रहा है। गीधाराम ने अपने 1/4 हिस्से की आराजियात की वसीयत उसके पुत्र एवं पुत्रियां क्रमशः हनुमान, दूलाराम, बोदूराम, रामचन्द्र, पांची देवी, घापू देवी, सोहनी देवी के नाम दिनांक 30–11–2012 को निष्पादित की। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थी ने तहसीलदार नांवा के समक्ष लादू की मृत्यु पश्चात वसीयत दिनांक 30–11–2012 के आधार पर अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु धारा 135 (2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, नांवा ने उक्त आराजियात को स्वअर्जित बाबत वसीयत में अंकन नहीं होना तथा उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष वाद विचाराधीन होने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार लादू के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात को अपने चार पुत्र काना, पोखर, गीधा एवं भूरा के पक्ष में पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 24–3–1965 को निष्पादित कर दी थी जिसके आधार पर चारों ही पुत्रों के नाम पृथक–पृथक स्वअर्जित आराजियात के रूप में चली आ रही है एवं खातेदार गीधा पुत्र लादू ने अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपने चार पुत्र एवं तीन पुत्रियॉ विधिक वारिसान होने से

वसीयत उनके नाम कर दी है जिसमें अन्य भाईयों के पुत्र एवं पुत्रियों का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है। राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत विवादित प्रकरण का निस्तारण का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को प्रदत्त है ग्राम पंचायत को नहीं। यदि पंजीकृत विक्रय पत्र पर रेस्पोडेन्ट को आपत्ति थी को उन्हें वे सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देनी अपेक्षित थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में वसीयत के आधार पर प्रोबेट लिया जाना कतई आवश्यक नहीं है। वसीयत का पंजीकृत होना भी आवश्यक नहीं है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है तथा नामान्तरकरण कार्यवाही से कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं होते तथा स्वामित्व स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिये तथा यह भी उचित है कि यदि वसीयत सन्देहास्पद एवं फर्जी है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। पैतृक सम्पत्ति के संबंध में ऐसी रिलीज डीड पिता के जीवनकाल में ही जारी की जा सकती है जबकि स्वअर्जित सम्पत्ति के संबंध में पिता की मृत्यु के पश्चात ही ऐसा संभव है। यह आवश्यक नहीं है कि वसीयत पंजीकृत हो। अपंजीकृत वसीयत होने मात्र से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। राजस्थान राज्य में वसीयतनामें की रजिस्ट्री व प्रोबेट लेना आवश्यक नहीं है। विवादग्रस्त आराजियात पर प्रत्येक पक्षकार का अपना–अपना हिस्सा निहित होने से भूरा के पूत्र बालू, मूला श्रवण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया । तथ्यपरक समानता होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा होते हैं । प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया । तथ्यपरक भिन्नता होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–6–2018 दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव् उपरोक्त परिस्थितियों में तहसीलदार नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2017 दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), नांवा द्वारा

पारित अपीलाधीन निर्णय अंतर्गत प्रकरण संख्या 01/2017 दिनांक 16–5–2017 विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), नांवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश/आदेश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी रामचंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 135(2) भू.अ. राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 17.01.2017 एवं उसके संलग्न वसीयत दिनांकित 04.12.2012 के आधार पर पुनः सुनवाई कर मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य को सम्मिलित करते हुए उनका भलीभॉती अवलोकन व अध्ययन कर, नये सिरे से पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करते हुए अपना विधिसम्मत निर्णय/आदेश पारित करें ।

(लक्ष्मी नारायण.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर